

फार्म

*प्रधम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२४

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

~~अंगती वेतनवृद्धि की तारीख~~

2. वर्तमान धारित पद

~~वर्तमान धारित पद~~

3. वर्तमान वेतन

43500 + 8500
(Bank) + (DA)

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

01.07.2022

उस जिले, ठप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा बौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्द्धक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लागभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधम ब्रेणी, द्वितीय ब्रेणी तथा तृतीय ब्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व

के मर्यादे

समस्त संपत्ति के बारे में

शाकेमुझे—2 असंसाधित—14-2-2001—5,000.

इस्ताधर

नाम अंगती वेतनवृद्धि की तारीख

पद वर्तमान धारित पद

विभाग संचालन विभाग

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो २०१०-२०२५ 2. वर्तमान धारित पद 2८८
 3. वर्तमान वेतन Re. 32,400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१ जुलाई २०२२

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो		संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्पचारों से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ** खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारोंख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
21/47/8	Nil		Nil		Nil			

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
 - ऐसे मापदंड में जहां मृत्यु का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागपाण मृत्यु घटताया जाए।
 - इसमें अल्पकालीन परामर्श भी सम्पीड़ित है।

टिप्पणी : मध्यादेश वर्षाना प्रदूष सा सामालत है।
अपेक्षित है कि वह संवा में परस्ती नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात्, यह पोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वास्थ्यत

उत्तम उनक स्वामित्व ग के म पट्टे

समस्त विद्यार्थी ने इसका परायार किसानविधि के नाम

१५४

३४

1

३५४

~~11. विद्युत~~

2010-5229

245

ନେତ୍ରବିକାଳ ପାଇଁ ଏହାରେ
ଅଧିକାରୀ ଦେଇଲାଗଲା

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **विष्णुलक्ष्मी देशमुख - संचालक**
2. वर्तमान धारित पद **पूर्व्य**
3. वर्तमान वेतन **Rs. 29000 + DA**: अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-07-2022**

उस जिले, ठप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मोपाल पंचायित नगर मोपाल म.ज.	मुद्रा शेडन-182	—	700,000/-	स्वयं के नाम	बैंक से लोन एवं स्वयं की ब्यात	Nil	

- जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ऐसे मापले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तगड़ा मूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व का अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम समस्त नियुक्ति के ब्यारे है।

शाकंपुरो—२ असमाप्ति—14-२-२००१—५,०००।

इस्ताधर

नाम **विष्णुलक्ष्मी देशमुख**

पद **पूर्व्य**

विभाग **संचालक पक्षुपालन विभाग**
विशाली नगर मोपाल म.ज.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो रोजिन्द्र कुमार लंगेश्वराणी वर्तमान धारित पद

भृशु पारिचारक

3. वर्तमान वेतन .. १४,५००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख .. ११/७/२०२२

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया ***खरोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अंजित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

- जहाँ तागू न हो काट दीजिए।
 - ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तागभग मूल्य बतलाया जाए।
 - इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पाष्ठो नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महोने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व के मामले के मामले के बारे में विवर दें।

समस्त नियम के बारे में

शाकमुखी—२ असमाप्ति—१४-२-२००१—५,०००.

हस्ताक्षर

नाम रोजिन्द्र कुमार लंगेश्वराणी

पद भृशु पारिचारक

विभाग लंचालनालय भृशु
प्रालेख

फार्म

दिनांक 01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2021 तक धारित अचल सम्पत्ति का विशेष विवरण

- 1 अधिकारी/कर्मचारी का नाम :— श्री प्रेमनारायण जायसवाल
- 2 वर्मान धारित पद :— भूत्य
- 3 वर्तमान वेतन :— 33400+डीए
- 4 अगली वेतन वृद्धि की दिनांक:— 01/जुलाई/2022

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्रम कानाम जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाई कि वह किसके नाम पर है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध हैं।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा बंधक विरासत भेट या अन्यकिसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
कोलार रोड भोपाल	ग्रह	निरंक	30.00 लाख	स्वयं	होम लोन द्वारा खरीदा गया।	निरंक	निरंक

हस्ताक्षर 
 नाम— श्री प्रेमनारायण जायसवाल
 पद— भूत्य
 विभाग—संचालनालय पशुपालन
 एवं डेयरी

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

मिशनरी डब्ल्यू

2. वर्तमान धारित पद

आधिकारिक

3. वर्तमान वेतन 19.000 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31/08/

उस जिले, रप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B-7 अल्पक नगर जागरुकता ग्राम	निवास	-	निवास	निवास	निवास	निवास	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मायप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व

के मर्दाने

समस्त नियम के बरिर हैं।

शाकेपुर्ण—2 असमाप्ति—14-2-2001—5,000.

हस्ताक्षर

मिशनरी १०/१०/२०२२

नाम

मिशनरी डब्ल्यू

पद

आधिकारिक

विभाग

शासकीय सेवक

मिशनरी डब्ल्यू

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मीमती - अजन्दी
2. वर्तमान धारित पद भूत्य
3. वर्तमान वेतन 21500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2022

उस जिले, रप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा और		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

- * जहां लागू न हो काट दीजिए।
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सदर्भ में तगभाग मूल्य बतलाया जाए।
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व

उपर्युक्त अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम समस्त अप्ति के बरिदि हैं।

शाकेपुर्खो—२ असासाप्रवि—१४-२-२००१—५,०००।

इस्ताक्षर

नाम मीमती अजन्दी शर्मा
पद भूत्य
विभाग संचालन विभाग ज.का.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्री २१ मनदेव मोर्य**

2. वर्तमान धारित पद

डियरी परिचारक

3. वर्तमान वेतन **33200+ ई.ए.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख

भुलाई २०२२



उस जिले, रप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

स्थान
14 JAN 2022

निर्णय

- * जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 - ** ऐसे मापले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में तागभाग मूल्य बतलाया जाए।
 - *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्पत्ति हैं।
- टिप्पणी : सम्प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम ब्रेणी, द्वितीय ब्रेणी तथा तृतीय ब्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व का समस्त सम्पत्ति के बारे में वर्णन करें।
- शाकेपुरो—२ असमाप्ति—१४-२-२००१—५,०००।

इस्ताधर **२१ मनदेव मोर्य**
नाम **२१ मनदेव मोर्य**
पद **डियरी परिचारक**
विभाग **संचालन लय, पश्चुपत्तन मण्डल भीषण**

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल संपत्ति का विवरण, वर्ष 20.21

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन
4. अगली वेतनवृद्धि की तारीख

अपना बसी

४४८

२०३००

११.१।२०२२

उस जिल्हे, उप सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि इसके नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राम की बचत एवं परिवार की व्यवसाय	४४८		Rs=120000/-	परिवार की व्यवसाय	परिवार की व्यवसाय	परिवार की व्यवसाय	

*जहा लागू न हो काट दीजिए।

**ऐसे मामले में जहा मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहा वर्तमान रिधति के सदर्भ में लगाना मूल्य बतलाया जाए।

***इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: क्षेत्रप्रदेश शासकीय संघरक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र गर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्थानित की तथा उसके द्वारा अर्जित अधिवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्ट या गंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के बारे दे।

हस्ताक्षर अपना बसी

नाम अपना बसी ४४८

फार्म

*प्रधम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो १०१२१ पंखाय वर्मा 2. वर्तमान धारित पद मृत्यु
3. वर्तमान वेतन ३१५०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख २०.२.२२

उस जिले, रप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				१०१२१			

- जहाँ लाग न हो काट दीजिए।
- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य यत्ततापा जाए।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(३) के अधीन प्रधम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें उनके स्वामित्व के लिए चयन के लिए उपक्रम दर्शाएं।

शाकमुखी—२ असासाप्रवि—१४-२-२००१—५,०००.

हस्ताख्य १०१२१ पंखाय वर्मा
नाम
पद
विभाग
मृत्यु
पंशुपाना